3/8/24

प्रार्थी/वादी वकील उपस्थित हुआ।
वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वापस करने हेतु
प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी की पहचान
उनके अधिवक्ता ने की तथा विपक्षी
अधिवक्ता ने आपत्ति के हस्ताक्षर की
सहमति प्रकट की। वकील प्रार्थी/प्रार्थी
ने अभिलेख पर आज कि पश्चात
के पश्चात स्वीकार हो गई तथा सभी
पक्षकारों आपसी सहमति से समझौता
हेतु सहमत है। जिनके प्रार्थना पत्र आधार निबंधन
के बिंदु। अतः प्रार्थना वादविंदु
प्रार्थना पत्र स्वीकार हो चुकाई जिसे मे
प्रार्थना पत्र को प्रमाणित का कोई औचित्य
नहीं है। प्रतिवादी प्रार्थना पत्र आधार निबंधन
बिंदु को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र
आधार निबंधन प्रार्थना पत्र स्वीकार
होने से प्रार्थना पत्र आधार निबंधन
वापस किया जाता है। प्रार्थी को
नियमों के अनुसार निर्णय हेतु
पेश करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर जयपुर

Scanned with CamScanner